न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 99/2015/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 20.8.2015
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. चुन्नीलाल आत्मज कान्हा जाति मेघवाल निवासी रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।

...अपीलाट

बनाम

1 प्रहलाद आत्मज मथुरा लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2 भवाना आत्मज रामचन्द्र जाति कराड निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
3 गोपाली पुत्री रामचन्द्र जाति कराड निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
4 राज्य सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलाट
श्री रामबाबू मालव अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1

निर्णय

दिनांक 8.02.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 10/2015 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान चुन्नीलाल बनाम प्रहलाद मे पारित आदेश दिनांक 10.7.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम छत्रपुरा तह0 रामगंजमण्डी के सेटलमेंट से पूर्व अपीलांट के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 53 मिन रकबा 5 बीघा स्थित है। खसरा नम्बर 53 एवं ख0 नं0 54 का रकबा काफी बडा रहा है उक्त खसरा नम्बरान मे कई लोगो को भूमि आवंटित हुई है। सेटलमेंट द्वारा ख0 नं0 53 मिन के नये ख0 नं0124 अंकित किये गये है सेटलमेंट द्वारा जो नया नक्शा तैयार किया गया उसमे दर्शित ख0 नं0 124 का स्थान प्रार्थी के कब्जे शुदा भूमि से भिन्न है नये नक्शा मे जो खसरा नम्बर 127 दर्शित है उस स्थान पर अपीलांट काबिज है इसी अनुसार नक्शा सेटलमेंट मे दुरूस्ती कियाा जाना है। रेस्पो0/अप्रार्थी कम –1 की आराजी के पुराने ख0 नं0 54 रकबा 4 बीघा स्थित रही है। पुराना नक्शा ट्रेस मे खसरा नं0 54 ख0 नं0 53 से पश्चिम दिशा मे स्थित रहा है। इसी प्रकार अप्रार्थी का नया ख0 127 और अप्रार्थी 2 व 3 संयुक्त खाते की आराजी का खसरा नं0 123 है जो मौके की वास्तविक स्थिति से बिल्कुल भिन्न है सेटलमेंट द्वारा तैयार किया गया नया नक्शा ट्रेस मे मौके पर प्रार्थी से पूर्व दिशा मे कामड आत्मज नाराण काबिज है जिनका वर्तमान मे नया

खसरा नम्बर 122 अंकित किया है इस तरह सेटलमेंट विभाग नया नक्शा ट्रेस मे मौके की स्थिति को पूरी तरह बदल कर सेटलमेंट मे प्रार्थी की ख0 नं0 124 को ख0 नं0 127 के स्थान पर दर्शाया जाकर नया नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 10.7.2015 से निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपील इस न्यायालय मे पेश कर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा मुताबिक मौके की स्थिति एवं पूर्व नक्शे व कब्जे के अनुरूप नये नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती की जाकर ख0 नं0 124 को नये खसरा नम्बर 127 के स्थान पर दर्शाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम–1 सुनी गई। रेस्पो0 क्रम 2 व 3 की प्रकरण मे तामील पूर्ण मानी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि सेटलमेंट से पूर्व अपीलांट के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 53 मिन रकबा 5 बीघा स्थित है। खसरा नम्बर 53 एवं ख0 नं0 54 का रकबा काफी बडा रहा है उक्त खसरा नम्बरान मे कई लोगो को भूमि आवंटित हुई है। सेटलमेंट द्वारा ख0 नं0 53 मिन के नये ख0 नं0 124 अंकित किये गये है सेटलमेंट द्वारा जो नया नक्शा तैयार किया गया उसमे दर्शित ख0 नं0 124 का स्थान प्रार्थी के कब्जे शुदा भूमि से भिन्न है नये नक्शा मे जो खसरा नम्बर 127 दर्शित है। तहसील से रिपोर्ट नही ली गई पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर निर्णय पारित किया गया। सेटलमेंट द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत नक्शा बनाया गया जो काबिल निरस्तनीय है।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे बताया कि अपीलांट द्वारा नक्शा दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है जो नियमित वाद के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 क्रम–1 पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी, अनुसार सेटलमेंट से पूर्व ख0 नं0 53 मिन रकबा 5 बीघा भूमि अपीलांट की खातेदारी की होना प्रकट है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि सेटलमेट विभाग द्वारा ख0 नं0 53 के के नये खसरा नम्बर 124 कायम किये गये है। सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शे मे ख0 नं0 124 गलत दर्शाया गया है अतः मौके की स्थिति व पूर्व नक्शे व कब्जे के अनुरूप नया नक्शे मे दुरूस्ती की जाकर ख0 नं0 124 को नये खसरा नम्बर 127 के स्थान पर दर्शाया जावे। अपीलांट के उपरोक्त तर्क से प्रश्नगत प्रकरण नक्शा दुरूस्ती के संबध मे होना प्रकट होता है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब से खसरा नं0 53 के नये ख0 नं0 124 के स्थान पर नये खसरा नं0 127 पर काश्त करना पुराने नक्शे मे तरमीम न होने से तरमीम के अभाव मे खारिज योग्य होना वर्णित किया है। उक्त जवाब को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जेरअपील आदेश से खारिज कर त्रुटि की है क्योंकि सेटलमेंट विभाग को बिना सक्षम आअदेश के पूर्व नक्शे मे रद्धोबदल करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर नही किया। सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शे मे की गई उक्त त्रुटि को सेटलमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट से बाद के रिकार्ड, जमाबन्दी, नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, तथा तहसीलदार आदि से रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण कर मौके की स्थिति अनुसार विधि मे निहित प्रावधान अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण किये बिना तथा भूमिधारी तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना निर्णय पारित किया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान

को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये सेटलमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट से बाद के राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी, नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, तथा तहसीलदार आदि की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा प्रकरण सं0 10/2015 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान चुन्नीलाल बनाम प्रहलाद मे पारित आदेश दिनांक 10.7.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये सेटलमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट से बाद के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, तथा तहसीलदार आदि की रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 8.02.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा